[1][नियम 31क : लॉटरी, बाजी, द्यूत तथा घुड़दौड़ की दशा में आपूर्ति का मूल्य

(1) इस अध्याय के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में मूल्य, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा।

[2][(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए ''आयोजनकर्ता राज्य'' पद का वही अर्थ होगा जो लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।]

(3) बाजी में जीतने के मौके के रूप में, द्यूत या दौड़ क्लब में घुड़दौड़ के अनुयोज्य दावे की आपूर्ति का मूल्य, बाजी के अंकित मूल्य या टोटलाइजर में संदत्त रकम का सौ प्रतिशत होगा।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा नियम 31क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)।

2 अधिसूचना क्रमांक 8/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 02.03.2020 द्वारा उपनियम (2) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.03.2020)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''(2) (क) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी की आपूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100/112 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझाी जाएगी(

(ख) जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी की आपूर्ति का मूल्य, अंकित मूल्य का 100/128 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझाी जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां –

(क) ''राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी'' से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी(

(ख) ''राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी'' से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है(और

(ग) ''आयोजित करने वाले राज्य'' का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी (विनियम) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में दिया गया है।''